भारत सरकार

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3792

जिसका उत्तर 11 दिसम्बर, 2019 को दिया जाना है।

20 अग्रहायण, 1941 (शक)

इंटरनेट अपराध

3792. श्रीमती क्वीन ओझा :

डॉ. भारतीबेन डी. श्याल :

श्री शंकर लालवानी :

क्या इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विगत पांच वर्षों के दौरान इंटरनेट अपराध में लगभग 457 प्रतिशत की वृद्धि हुई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकार द्वारा इसे रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए /उठाए जा रहे हैं;

(ग) क्या सरकार देश में साइबर अपराध की बढ़ती घटनाओं के मद्देनजर साइबर अपराध को रोकने के लिए और डिजिटल फॉरेंसिक आदि हेतु कानून लागू करने वाली एजेंसियों के अधिकारियों को प्रशिक्षण देने पर विचार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ड.) क्या सरकार का साइबर अपराध को रोकने के लिए देश के प्रत्येक जिले में एक कॉल सेंटर स्थापित करने का प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उत्तर

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (श्री संजय धोत्रे)

(क) से (ड.) : राष्टीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) में उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार वर्ष: 2013, 2014, 2015, 2016 और 2017, के दौरान क्रमश: 5693, 9622, 11592, 12317 और 21796 साइबर अपराध पंजीकृत किए गए।

भारतीय संविधान के अनुसार 'पुलिस' और 'सार्वजनिक व्यवस्था' राज्य के विषय हैं और अपराधों की रोकथाम करने, पता लगाने छानबीन करने, अभियोजन तथा पुलिस कार्मिकों का क्षमता निर्माण राज्य की प्राथमिक जिम्मेदारी है। कानूनी प्रावधानों के अनुसार कानून प्रवर्तन एजेंसियॉ (एलईए) साईबर अपराध करने वाले अपराधियों के खिलाफ कानूनी कदम उठाती हैं। तथापि भारत सरकार राज्यों को परामर्शी निदेशों विभिन्न योजनाओं के तहत और निधियों के माध्यम से उन्हें सहायता देते हुए साइबर अपराधों की रोकथाम करने में मदद करती है। इस सम्बंध में, सरकार ने कई कदम उठाए हैं, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं:-

- महिलाओं और बच्चों योजना के विरूद्ध साइबर अपराध की रोकथाम (सीसीपीडब्ल्यूसी) योजना के तहत एलईए कार्मिकों,अभियोजकों और न्यायिक अधिकारियों को व्यावहारिक (हैंड्स-ऑन) प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए साइबर फोरेंसिक सह प्रशिक्षण प्रयोगशाला की स्थापना, के लिए, जूनियर साइबर परामर्शदाताओं को काम पर रखने और प्रशिक्षण/क्षमता निर्माण हेतु राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तिय सहायता दी गई है।
- राष्ट्रीय साइबर अपराध रिर्पोटिंग पोर्टल,www.cybercrime.gov.in को महिलाओं और बच्चों के खिलाफ साइबर अपराध पर विशेष बल के साथ सभी प्रकार के साइबर अपराधों से संबंधित शिकायतों को ऑनलाइन रिपोर्ट करने में नागरिकों को सक्षम बनाने हेतु शुरू किया गया है। इस पोर्टल पर दर्ज की गई शिकायतों को राज्यों के संबंधित कानून प्रवर्तन प्राधिकारियों द्वारा कार्रवाई की जाती है। इस पोर्टल के जरिए शिकायतों को दर्ज करने के लिए लोगों को मदद करने हेतु एक राष्ट्रव्यापी हेल्पलाइन संख्या (155260) भी प्रचालनरत की गई है।
- संमन्वित और प्रभावकारी ढंग से साइबर अपराधों से निपटने के लिए 'भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (आई4सी) की स्थापना की गई है और इसमें साइबर अपराध अन्वेषण के क्षेत्र में क्षमता निर्माण के लिए एक घटक अर्थात राष्ट्रीय साइबर अपराध प्रशिक्षण केंद्र शामिल है।
- साइबर अपराध तथा अन्य साइबर से संबंधित मुद्दे जैसे कि मामले का अध्ययन/अनुसंधान निष्कर्षों को साझा करना, अनुभव साझा करना, अनुसंधान समस्या तैयान करना, जटिल साइबर मुद्दों का समाधान खोजना इत्यादि मुद्दों को सुलझाने के लिए उनके प्रयासों को सहयोग करने और समन्वय करने के लिए कानून प्रवर्तन एजेंसियों और अन्य हितधारकों को प्लेटफॉर्म प्रदान करने के लिए साइबर समन्वय केंद्र (साइकोर्ड) पोर्टल शुरू किय गया है।
- एमएचए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को साइबर अपराधों के बारे में एलर्ट/परामर्शी निदेश जारी किए हैं। राज्यों को विभिन्न प्रकार के परामर्शी निदेश जारी किए गए हैं जो www.mha.gov.in पर उपलब्ध हैं।
- एमएचए ने जांच और अभियोजन के बेहतर संचालन के लिए एलईए के कार्मिकों, अभियोजकों और न्यायिक अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण पाठ्यक्रम तैयार किया है। अभी तक 8500 से अधिक एलईए कार्मिकों, न्यायिक अधिकारियों और अभियोजकों को सीसीपीडब्ल्यूसी येाजना के अंतर्गत साइबर अपराध जागरूकता, जॉच, न्यायायिक विज्ञान आदि पर प्रशिक्षण प्रदान किया गया है।

******